न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमंती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. गोपाल कृष्ण पुत्र स्व. चम्पालाल 2. रामचन्द्र पुत्र स्व. चम्पालाल जातिगण कुम्हार निवासीगण लाणेरा तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. दुर्गा देवी पत्नि चम्पालाल जाति कुम्हार निवासी लाणेरा 2. महेश कुमार पुत्र चम्पालाल जाति कुम्हार नाबालिग जरिये कुदरती वली माता दुर्गादेवी पत्नि चम्पालाल जाति कुम्हार निवासी लाणेरा तह0 सोजत 3. उप पंजीयन अधिकारी उप पंजीयन कार्यालय सोजत तह0 सोजत। 4. तहसीलदार भूमिधारक सोजत।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 78/2023

उपस्थितिः–

01. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. श्री विनोद वैष्णव अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

दिनांक 29/07/2024

–: निर्णय :–

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध, अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा लाणेरा तह0 सोजत में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 की पुश्तैनी संयुक्त हिन्दु परिवार की कृषि भूमि आई हुई स्थित हैं। जिसके ख.नं. 509/1 रकबा 0.3400 है0, ख.नं. 501 रकबा 1.16 है0 हैं। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण के दादा लाबुराम की खातेदारी की कृषि भूमि थी। लाबूराम के स्वर्गवास के बाद प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज की गई, किन्तु प्रार्थीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि में बाई बर्थ हक व अधिकार निहित हो चुका हैं। प्रार्थी के पिता को उक्त भूमि विरासत से प्राप्त हुई है एवं प्रार्थी के दादा निवशीयती ही फौत हो चुके हैं। जिससे प्रार्थीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रत्येक का 1/4–1/4 हक हिस्सा बनता हैं। प्रार्थीगण के पिता के द्वारा अपने हक अधिकारों से अधिक भूमि का बेचाननामा दिनांक 04.05.2023 को अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में करवा दिया। जबकि वादग्रस्त सम्पति पर प्रार्थीगण का आज भी कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। दिनांक 01.06.2023 को प्रार्थीगण के पिता का भी देहान्त हो गया। अप्रार्थी सं0 1 को जब पुनः सभी वारिशानों के नाम भूमि करने का बोला गया तो वह टालमटोल करने लगी। वह वर्तमान में उक्त विधि विरूद्ध इन्द्राज के आधार पर अन्य व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा हैं। यदि वह ऐसा करने पर सफल हो गई तो प्रार्थीगण अपनी पुश्तैनी जमीन से महरूम हो जायेगे एवं प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। वादस्थ भूमि पुश्तैनी एवं पैतृक हैं। प्रार्थीगण का बाई बर्थ हिस्सा निहित हो चुका हैं। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता हैं। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि के मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

बेचान व अन्य हस्तान्तरण नही करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 ने अप्रार्थी सं0 1 व 2 की ओर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादस्थ भूमि पुश्तैनी व पैतृक नही हैं बल्कि उसके स्वयं की खरीदसुदा कृषि भूमि हैं। दिनांक 04.05.2023 को 1 लाख 70 हजार रूपये रोकड़ देकर उक्त भूमि का क्रय किया गया हैं तथा क्रय किये जाने के पश्चात् आज भी कब्जा अप्रार्थी सं0 1 का ही हैं। दिनांक 05.06.2023 को अप्रार्थी सं0 1 ने किसी प्रकार का प्रार्थी के पक्ष में इकरारनामा निष्पादित नहीं किया गया हैं। इकरारनामा पूर्णतः फर्जी व झूठा हैं। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन नही बनता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

बहस वकुलाय सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य को दोहराते हुए व्यक्त किया कि वादस्थ भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पुश्तैनी व पैतृक कृषि भूमि हैं। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा प्रार्थीगण के पिता से उक्त पैतृक व पुश्तैनी कृषि भूमि को क्रय किया है, जबकि प्रार्थीगण के पिता को उनके हक हिस्से से अधिक भूमि का बेचान करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। तदोपरान्त भी गलत बेचान किया गया और अप्रार्थी सं0 1 उक्त विधि विरूद्ध बेचान के आधार पर प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा हैं। जिससे अप्रार्थीगण के जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी ने निवेदन किया कि वादस्थ भूमि अप्रार्थी सं0 1 की खरीदसुदा कृषि भूमि हैं। प्रार्थी द्वारा मात्र हैरान व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज होने से खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर व मनन किया गया। वस्तुतः प्रथम दृष्टया वादस्थ भूमि पुश्तैनी व पैतृक होना प्रतीत होता हैं। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं शपथ पत्रो के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिंद्ध होता हैं। दौराने सुनवाई वादस्थ भूमि का यदि आगे से आगे बेचान अन्य हस्तान्तरण होता है तो निश्चित ही प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। जिससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता हैं। लिहाजा वादस्थ भूमि की वाद निर्णय तक मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने एवं भूमि का बेचान व अन्य हस्तान्तरण नहीं करने से अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा रोका जाना उचित समझते हैं।

—: **आदेश** :—

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता हैं। सरहद मौजा लाणेरा तह0 सोजत के ख.नं. 509/1 रकबा 0.3400 है0, ख.नं. 501 रकबा 1.16 है0 कृषि भूमि के मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने एवं भूमि का बेचान व अन्य हस्तान्तरण नहीं करने से अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 23/7/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत